

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा


कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24.05.17 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/ 3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समन्वित किये गये विद्यालयों के निम्नांकित अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों का पदस्थापन/समायोजन आयोजित परामर्श कैंम्प में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

क्र.सं.	नाम वरिष्ठ अध्यापक	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	समायोजित विद्यालय का नाम	जिला
1.	दयाकिशन नागर	अंग्रेजी	रामावि कोथ्या	बून्दी	राउमावि मण्डावरा	बून्दी

- संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच/लंबे समय से अनुपस्थित/निलम्बन/न्यायालय स्थगन से संबंधित कोई प्रकरण/प्रक्रिया चल रही है तो, ऐसी स्थिति में कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
- राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम-2011 के तहत समायोजित कार्मिक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा तत्काल सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।


संबंधित वरिष्ठ अध्यापकों को नवीन समायोजित स्थान पर दिनांक 12.6.2017 तक कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा। इन्हें माह जून 2017 का वेतन नवीन स्थान से ही देय होगा। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब स्थानीय कार्यालय में भिजवाये एवं शाला दर्पण पर इनकी प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करे।


उपनिदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

क्रमांक : उनिमाशि/को/संस्था-3(20303)/2017/ 222 दिनांक 04.06.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-


- 1-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 2-उपनिदेशक (प्रारंभिक) शिक्षा विभाग, कोटा
- 3-जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 4-संबंधित बीईईओ
- 5-संबंधित संस्था प्रधान
- 6-संबंधित कार्मिक
- 7-रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,कोटा

कार्यालय-आदेश


स्थानीय कार्यालय के आदेश क्रमांक उनिमाशि/को/संस्था-3/2017/225 दिनांक 04.06.17 से जारी वरिष्ठ अध्यापक सामान्य के समायोजन आदेश में विषय के कॉलम में वअ सामान्य के स्थान पर वअ सामान्य (हेडटीचर) पढा जावे। आदेश की शेष शर्ते मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी ।


उपनिदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,कोटा
दिनांक 04.06.17

क्रमांक : उनिमाशि/को/संस्था-3(20303)/2017/227

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 2-उपनिदेशक (प्रारंभिक) शिक्षा विभाग,कोटा
- 3-जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 4-संबंधित बीईईओ
- 5-संबंधित संस्था प्रधान
- 6-संबंधित कार्मिक
- 7-रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,कोटा

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा


कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24.05.17 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/ 3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समन्वित किये गये विद्यालयों के निम्नांकित अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों का पदस्थापन/समायोजन आयोजित परामर्श कैंम्प में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

क्र.सं.	नाम वरिष्ठ अध्यापक	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	समायोजित विद्यालय का नाम	जिला
1.	सुन्दर पाटीदार	सामान्य	राउमावि बोलियाबुजुर्ग पिडावा	झालावाड	राउमावि पगारिया, भवानीमण्डी	झालावाड
2	अशोककुमार शुक्ला	सामान्य	राउमावि मण्डाना	कोटा	राउमावि बालाकुण्ड, कोटा	कोटा
3	शिवशंकर शर्मा	सामान्य	राउमावि सुल्तानपुर	कोटा	राउमावि रामगंजमण्डी	कोटा
4	मोहनलाल	सामान्य	रामावि गादियामेहर-II	झालावाड	राउमावि बैरागढ, अकलेरा	झालावाड
5	राम लाल सैनी	सामान्य	राउमावि भीया	बून्दी	राउमावि मण्डावर, झा.पाटन	झालावाड
6	रामराय मीणा	सामान्य	राउमावि बामनगांव	बून्दी	राउमावि चौमहला, डग	झालावाड
7	मोहनलाल मीणा	सामान्य	राउमावि विनायका	कोटा	राउमावि तिसाई, डग	झालावाड
8	प्रभुलाल मेघवाल	सामान्य	राउमावि किशनगंज	बारां	राउमावि मनोहरथाना	झालावाड

- संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच/लंबे समय से अनुपस्थित/निलम्बन/न्यायालय स्थगन से संबंधित कोई प्रकरण/प्रक्रिया चल रही है तो, ऐसी स्थिति में कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
- राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम-2011 के तहत समायोजित कार्मिक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा तत्काल सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।


संबंधित वरिष्ठ अध्यापकों को नवीन समायोजित स्थान पर दिनांक 12.6.2017 तक कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा। इन्हें माह जून 2017 का वेतन नवीन स्थान से ही देय होगा। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब स्थानीय कार्यालय में भिजवाये एवं शाला दर्पण पर इनकी प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।


उपनिदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

क्रमांक : उनिमाशि/को/संस्था-3(20303)/2017/ 225 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 2-उपनिदेशक (प्रारंभिक) शिक्षा विभाग, कोटा
- 3-जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 4-संबंधित बीईईओ
- 5-संबंधित संस्था प्रधान
- 6-संबंधित कार्मिक
- 7-रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा


कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24.05.17 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/ 3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समन्वित किये गये विद्यालयों के निम्नांकित अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों का पदस्थापन/समायोजन आयोजित परामर्श कैम्प में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

क्र.सं.	नाम वरिष्ठ अध्यापक	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	समायोजित विद्यालय का नाम	जिला
1.	कुलजीत कौर	हिन्दी	राउमावि जमीतपुरा	बून्दी	राबामावि नमाना	बून्दी
2	सुशीला देवी	हिन्दी	राउमावि सुवांसा	बून्दी	रामावि नयाखेडा	कोटा
3	मेघराज नागर	हिन्दी	रामावि गलाना	कोटा	रामावि गोरधनपुरा	कोटा
4	बजरंगलाल सुमन	हिन्दी	राउमावि आटोन	बारां	राउमावि सहरोद	बारां
5	नरेन्द्रकुमार अग्रवाल	हिन्दी	राउमावि भवानीमण्डी	झालावाड	राउमावि गुराडिया भर्ता, भवानीमण्डी	झालावाड
6	रईस मोहम्मद	हिन्दी	राउमावि देई	बून्दी	रामावि नवीन देई, नैनवां	बून्दी
7	अवधेशकुमार कुमावत	हिन्दी	राबाउमावि कनवास	कोटा	रामावि मालीहेडा, सांगोद	कोटा
8	प्रभुलाल सैनी	हिन्दी	राबामावि सुमेरगंजमंडी	बून्दी	राउमावि माखीदा, के. पाटन	बून्दी

1. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच/लंबे समय से अनुपस्थित/निलम्बन/न्यायालय स्थगन से संबंधित कोई प्रकरण/प्रक्रिया चल रही है तो, ऐसी स्थिति में कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
2. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम-2011 के तहत समायोजित कार्मिक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा तत्काल सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संबंधित वरिष्ठ अध्यापकों को नवीन समायोजित स्थान पर दिनांक 12.6.2017 तक कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा। इन्हें माह जून 2017 का वेतन नवीन स्थान से ही देय होगा। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब स्थानीय कार्यालय में भिजवाये एवं शाला दर्पण पर इनकी प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।



उपनिदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

दिनांक 04.06.17

क्रमांक : उनिमाशि/को/संस्था-3(20303)/2017/ 223

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 2-उपनिदेशक (प्रारंभिक) शिक्षा विभाग, कोटा
- 3-जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 4-संबंधित बीईईओ
- 5-संबंधित संस्था प्रधान
- 6-संबंधित कार्मिक
- 7-रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा


कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24.05.17 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/ 3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समन्वित किये गये विद्यालयों के निम्नांकित अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों का पदस्थापन/समायोजन आयोजित परामर्श कैंम्प में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

क्र.सं.	नाम वरिष्ठ अध्यापक	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	समायोजित विद्यालय का नाम	जिला
1.	नरेश सारस्वत	गणित	राउमावि तिसाया,अन्ता	बारां	राउमावि इंद्रागांधी नगर, कोटा	कोटा
2	अब्दुल सलीम खान	गणित	राउमावि रातडिया	बारां	राउमावि देहित, तालेडा	बूंदी

1. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच/लंबे समय से अनुपस्थित/निलम्बन/न्यायालय स्थगन से संबंधित कोई प्रकरण/प्रक्रिया चल रही है तो, ऐसी स्थिति में कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें। संबंधित विषय का पद रिक्त होने की स्थिति में ही कार्मिक को कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम-2011 के तहत समायोजित कार्मिक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा तत्काल सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।


संबंधित वरिष्ठ अध्यापकों को नवीन समायोजित स्थान पर दिनांक 12.6.2017 तक कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा। इन्हें माह जून 2017 का वेतन नवीन स्थान से ही देय होगा। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब स्थानीय कार्यालय में भिजवाये एवं शाला दर्पण पर इनकी प्रगति किया जाना सुनिश्चित करे।


उपनिदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

दिनांक 04.06.17

क्रमांक : उनिमाशि/को/संस्था-3(20303)/2017/ 221
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 2-उपनिदेशक (प्रारंभिक) शिक्षा विभाग, कोटा
- 3-जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 4-संबंधित बीईईओ
- 5-संबंधित संस्था प्रधान
- 6-संबंधित कार्मिक
- 7-रक्षित पत्रावली


04.6.17

उपनिदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा


कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24.05.17 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/ 3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समन्वित किये गये विद्यालयों के निम्नांकित अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों का पदस्थापन/समायोजन आयोजित परामर्श कैंम्प में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

क्र.सं.	नाम वरिष्ठ अध्यापक	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	समायोजित विद्यालय का नाम	जिला
1.	अब्दुल सलाम	विज्ञान	राउमावि बून्दी	बून्दी	राउमावि सिलोर, बून्दी	बून्दी

- संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच/लंबे समय से अनुपस्थित/निलम्बन/न्यायालय स्थगन से संबंधित कोई प्रकरण/प्रक्रिया चल रही है तो, ऐसी स्थिति में कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
- राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम-2011 के तहत समायोजित कार्मिक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा तत्काल सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संबंधित वरिष्ठ अध्यापकों को नवीन समायोजित स्थान पर दिनांक 12.6.2017 तक कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा। इन्हें माह जून 2017 का वेतन नवीन स्थान से ही देय होगा। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब स्थानीय कार्यालय में भिजवाये एवं शाला दर्पण पर इनकी प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करे।



उपनिदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

दिनांक 04.06.17

क्रमांक : उनिमाशि/को/संस्था-3(20303)/2017/ 226

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 2-उपनिदेशक (प्रारंभिक) शिक्षा विभाग, कोटा
- 3-जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 4-संबंधित बीईईओ
- 5-संबंधित संस्था प्रधान
- 6-संबंधित कार्मिक
- 7-रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा


कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24.05.17 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/ 3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समन्वित किये गये विद्यालयों के निम्नांकित अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों का पदस्थापन/समायोजन आयोजित परामर्श कैम्प में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

कसं	नाम वरिष्ठ अध्यापक	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	समायोजित विद्यालय का नाम	जिला
1.	संध्या कुलश्रेष्ठ	सामाजिक	राउमावि कुन्हाडी, कोटा	कोटा	रामावि श.अजय आहूजा, भीममण्डी	कोटा
2	राममूर्ति खीची	सामाजिक	राबाउमावि बल्लभनगर कोटा	कोटा	राबामावि कोटडी गोरधनपुरा, कोटा	कोटा
3	संतोष शर्मा	सामाजिक	राबाउमावि विज्ञाननगर कोटा	कोटा	रामावि वृजराजपुरा-11 डाईट परिसर, कोटा	कोटा
4	संतोष मालवीय	सामाजिक	राउमावि देवलीमांझी,	कोटा	रामावि छावनी, कोटा	कोटा
5	चन्द्रकला शर्मा	सामाजिक	राबाउमावि मांगरोल	बारां	राउमावि उदपुरिया, अंता	बारां
6	निर्मला महावर	सामाजिक	राउमावि बडोरा	बारां	राउमावि वोकेशनल, नयापुरा कोटा	कोटा
7	चिकी गालव	सामाजिक	राबाउमावि छबडा	बारां	राबाउमावि नयापुराबाग, कोटा	कोटा
8	बाबू लाल सुमन	सामाजिक	राउमावि मांगरोल	बारां	रामावि मिसाई, किशनगंज	बारां
9	रामदयाल किराड	सामाजिक	राउमावि देवरी, शाहबाद	बारां	रामावि भोयल, शाहबाद	बारां
10	गजेन्द्र मालवीय	सामाजिक	राउमावि स्टेशनरोड बारां	बारां	राउमावि समरानियां, शाहबाद	बारां
11	धन्ना लाल नागर	सामाजिक	राबाउमावि नाहरगढ, बारां	बारां	रामावि पचलावडा, किशनगंज	बारां
12	नन्दप्रकाश शर्मा	सामाजिक	राउमावि बालचन्द्रपाडा बून्दी	बून्दी	राबामावि बून्दी सिटी	बून्दी
13	हरिसिंह चौहान	सामाजिक	राउमावि हिम्मतगढ	झालावाड	राउमावि मगीसपुर, सुनेल	झालावाड
14	राजेन्द्र कुमार मीणा	सामाजिक	राबाउमावि भंवरगढ, बारां	बारां	राउमावि छीपाबडोद	बारां
15	रामप्रसाद भूलीवाल	सामाजिक	राबाउमावि के.पाटन	बून्दी	रामावि नांतामहल, कोटा	कोटा
16	रामकल्याण मेहरा	सामाजिक	राउमावि तलाव, कोटा	कोटा	राउमावि रनोदिया, इटावा	कोटा


- संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच/लंबे समय से अनुपस्थित/निलम्बन/न्यायालय स्थगन से संबंधित कोई प्रकरण/प्रक्रिया चल रही है तो, ऐसी स्थिति में कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
- राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम-2011 के तहत समायोजित कार्मिक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा तत्काल सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संबंधित वरिष्ठ अध्यापकों को नवीन समायोजित स्थान पर दिनांक 12.6.2017 तक कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा। इन्हें माह जून 2017 का वेतन नवीन स्थान से ही देय होगा। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब स्थानीय कार्यालय में भिजवाये एवं शाला दर्पण पर इनकी प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करे।


 उपनिदेशक (माध्यमिक)
 शिक्षा विभाग, कोटा

क्रमांक : उनिमाशि/को/संस्था-3(20303)/2017/ 224 दिनांक 04.06.17
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 2-उपनिदेशक (प्रारंभिक) शिक्षा विभाग, कोटा
- 3-जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 4-संबंधित वीईईओ
- 5-संबंधित संस्था प्रधान
- 6-संबंधित कार्मिक
- 7-रक्षित पत्रावली


 उपनिदेशक (माध्यमिक)
 शिक्षा विभाग, कोटा